

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019/राँची, दिनांक 08.10.2020

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल भवन डोरण्डा राँची का वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य के लिए ₹ 27.583 लाख (सत्ताईस लाख अठावन हजार तीन सौ) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

- जल भवन डोरण्डा राँची का वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रख-रखाव एवं सम्पोषण कार्य के लिए ₹ 27.583 लाख (सत्ताईस लाख अठावन हजार तीन सौ) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा डोरण्डा स्थित जल भवन के लिए वर्ष 2020-21 में वार्षिक मरम्मत तथा सम्पोषण कार्य हेतु समर्पित किये गये प्रस्ताव में निम्नांकित कार्य प्रावधानित है, जिनकी अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Items of Work	Amount
1	Daily Consumable Items used for Washing & Cleaning of Building	210000.00
2	Maintenance of Electrical Equipments including Fan, A.C. Water Purifier, Switch Board etc.	170400.00
3	Maintenance of Lift and Fire fighting System installed in Jal Bhawan, Doranda, Ranchi	406690.00
4	Running & Maintenance of Generator Set Installed in Jal Bhawan Doranda Ranchi	527200.00
5	Maintenance of Guest House and Minister's Cell on 4 th Floor of Jal Bhawan	59600.00
6	Labour Cost for Maintenance of Jal Bhawan including Sweeper, Guard, Electrician, Plumber, Lift man etc	1200700.00
7	Minor Civil Repair Work	121200.00
8	Gardening work	12100.00
9	Maintenance of Wifi and other Telecommunication System installed in Jal Bhawan including Maintenance of sound system etc. Installed in Conference Hall	50500.00
	Total	2758300.00

4. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण कराया जाएगा।
5. उपरोक्त कार्यों पर होनेवाला व्यय :-
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के अन्तर्गत प्रस्तावित ₹ 27.583 लाख मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-68-भवनों का संधारण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. उक्त कार्य जलपथ प्रमण्डल, राँची द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस कार्य के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में ₹ 700.00 लाख राशि का उपबंध है।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. राशि की निकासी वित्त विभाग का परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
12. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्नु राँची को संसूचित किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019/राँची, दिनांक 08.10.2020

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019/राँची, दिनांक 08.10.2020

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019/राँची, दिनांक 08-10-2020

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र० राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019/राँची, दिनांक 08-10-2020

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/926/2019/राँची, दिनांक 08-10-2020

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव